ग्राम पंचायत भैरा, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भैरा, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमति अंजना कुमारी	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री अरुण कुमार	01.04.2024 से 12.02.2025 तक
2.	श्री करनैल सिंह	13.02.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भैरा के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तर बारे।	0.30
2)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष।	21.43
3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष।	0.72
4)	8.1	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान करना।	1.99
5)	8.2	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना।	0.25
6)	8.4	निर्माण कार्य में अधिक भुगतान बारे।	0.06
7)	8.5	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना।	1.34
8)	8.6	खरीदे हुए सामान का e-way bill प्रस्तुत न करने वारे।	1.34

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत भैरा, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री जीवन कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 12.08.2025 से 19.08.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	11/2024	05/2024

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा" ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भैरा, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5000** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 210/2025 दिनांक 19.08.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत भैरा द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित धुसाडा के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 437376 दिनांक 19.08.2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत भैरा द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 191/2025 दिनांक 12.08.2025 के प्रतिउतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान, (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही (Online,) मनरेगा (online) व SBM(online) का रख-रखाव किया गया था ।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	2518167.3	4445730.2	6963897.5	4820932.2	2142965.3

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भेरा के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अंतर ₹**29613** था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	**2142965.3**
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**2172377.3**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	200
4)	**योग (2+3)**	**2172577.3**
5)	**अन्तर (1-4)**	**29613**

नोट: ग्राम पंचायत भेरा के 15वें वितयोग का अंकेक्षण online माध्यम से किया गया है और 15वें वित्तायोग का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को w.w.w.auditonline पर मुख्यालय को अनुसरण हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.30 लाख के अन्तर बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष की रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹29613.00** का अन्तर पाया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 196/2025 दिनांक 14.08.2025 जिसके सन्दर्भ में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPB-62/2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त अन्तर को रोकड़ बही व बैंक के साथ मिलान करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: उक्त राशि के अन्तर के कारणों का सम्बन्धित अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत व अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

4.3 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना:

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 196/2025 दिनांक 12.08.2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPB-61/2024-25 दिनांक 11.08.2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹21.43 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 191/2025 दिनांक 12-8-2025 के प्रतिउतर में अपने पत्र संख्या GPB-60/2024-25 दिनांक 19.08.2025 प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹2142965.30** की राशि उपयोग हेतु शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र

निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 191/2025 दिनांक 12-8-2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPB-60/2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 191/2025 दिनांक 12-8-2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPB-60/2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.72 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 194/2025 दिनांक 13.08.2025 के प्रतिउत्तर में उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹71810 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2024-25	26450	45360	71810	0	71810

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **सलंग्न परिशिष्ट “ग ” अनुसार ₹2200** की वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	2200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 195/2025 दिनांक 14.08.2025 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPB-61/2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8 व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹1.99 लाख का अनियमित भुगतान।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में **सलंग्र परिशिष्ट "घ " अनुसार ₹198785.00** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 208 /2025 दिनांक 19/08/2025 के प्रतिउतर में पत्र संख्या पत्र संख्या GPB-67/2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्लू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही

भुगतान किया जाएगा | प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है| अत: **₹198785.00** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान करना ।

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नानुसार आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **₹1230653.00** (जी.एस.टी. को छोड़कर) **(सलंग्न परिशिष्ट " ड. ")** भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मासों के दौरान स्त्रोत पर **₹24613.06** की जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या ज्ञापन संख्या 211/2025 दिनांक 11.08.2025 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GPB-69/2024-255 दिनांक 19.08.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि भविष्य में GST,TDS की कटौती नियमानुसार कर भुगतान किया जाएगा । भविष्य में नियमों की पूर्णतया पालना की जाएगी | प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व

अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.3 ₹1.01 लाख की निर्माण कार्यों के समर्थन में सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 31 के अनुसार ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा सभी अभिलेख , रजिस्टर, प्रपत्र एवं लेखे निर्धारित प्रारूपों के अनुसार संधारित करने आपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा निर्माण कार्यों के समर्थन **(सलंग्न परिशिष्ट "च" अनुसार) ₹101174.00** से सम्बधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये ।अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 206/2025 दिनांक 19.08.2025 के में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPB-65/2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका इत्यादि कार्य प्रगति पर होने के कारण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायंगे। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः संबधित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए।

8.4 लिंक रोड निर्माण कार्य में ₹0.06 लाख के अधिक भुगतान बारे ।

चयनित माह के भुगतान वाउचरो के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत के लिंक रोड कार्य में गलत गणना के कारण **₹5775.00** का गलत भुगतान किया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मापन पुस्तिका में दरें एवं माप वास्तविक कार्य निष्पादन से मेल नहीं खाती थीं, जिसके फलस्वरूप नियमानुसार देय राशि से अधिक भुगतान कर दिया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 212/2025 दिनांक 19.08.2025 के प्रतिउतर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GPB-70/2024-25 दिनांक 19.08.2025 स्पष्ट किया कि भविष्य में नियमानुसार वसूली /कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 अग्रिम राशि ₹1.34 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ऊना को सीमेंट के क्रय हेतु **(सलंग्र परिशिष्ट "छ " अनुसार) ₹134334.60** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परन्तु दिनांक 31.03.2025 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2025 दिनांक 19.08.2025 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GPB-66/2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अम्ल में लाई जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.6 ₹ 1.34 लाख खरीदे हुए सामान का e-way bill प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 12-4/78-EXN- Tax - 14104 dated 1st मई 2018 के अनुसार अगर सामान की कीमत ₹50000 से ऊपर है तो उस सामान की आपूर्ति E way bill द्वारा करना अनिवार्य है । E-Way Bill एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल है जो कि GST पोर्टल पर बनता है, GST सिस्टम के तहत किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए उस सामान का ऑनलाइन बिल तैयार किया जाता है। यह बिल 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ज़रूरी है । माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 68 के तहत, माल की आवाजाही शुरू होने से पहले पंजीकृत लोगों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा एक ई-वे बिल तैयार किया जाना चाहिए । इससे वास्तविक समय में माल की आवाजाही पर नज़र रखता है, यह एक डिजिटल प्रणाली है, जो माल के परिवहन से सम्बन्धित जानकारी को ऑनलाइन दर्ज करती है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल हो जाती है । अंकेक्षण में चयनित माह के भुगतान वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **(सलंग्र परिशिष्ट "ज " अनुसार) ₹ 134335.00** फर्मों द्वारा सामान की आपूर्ति बिल के साथ E

way bill सलंग्न नहीं किया गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायत उक्त सामान की खरीद को संदेहजनक होने के साथ साथ नियमों की अवहेलना करना दर्शाता है। अत: **परिशिष्ट "ज"** में वर्णित सामान को firm से बिना e way के खरीदे जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

8.7 बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतू भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Void) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.09 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम के अंतर्गत क्रम (2.1.2.13) में बजरी (Aggregate) एंव पत्थरों (Stone/Boulders) के आकर अनुसार आपूर्ति के दौरान रिक्तियों (Voids) की कटौती 5%, 10% एंव 12.5% करना निर्धारित है अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि **(सलंग्न परिशिष्ट "झ" अनुसार)** ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों की कटौती नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमो की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को रिक्तियों को करने से पूर्व रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹105995** भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹9251** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 209/2025 दिनांक 19.08.2025 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GPB-68/2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि बजरी एवं पत्थर के भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती बिलों से नही की गई है जिसे भविष्य में पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों (Voids) की कटौती की जायेगी व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.8 ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर व निर्माण कार्य हेतु सामग्री इत्यादि की खरीद हेतु अपनाई जा रही निविदा प्रणाली में गम्भीर आपत्तियां पाई जाने बारे : -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निविदाओं को आमंत्रित करने में प्रदेश सरकार के वित्तीय नियमों का पालन ढंग से नहीं किया जा रहा है, उदाहरणत: ग्राम प्रांचायत द्वारा निविदाएँ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में वर्णित शर्तों व नियमों का पालन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है जैसे कि शर्तों व नियमों में स्पष्ट लिखा होता है कि आपूर्तिकर्ता / फर्म व सेवप्रदाता के पास GST

नम्बर अनिवार्य है, बिना GST के निविदा मान्य नहीं है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि निविदाएं प्राप्ति के समय इन नियमों का पालन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। इनमें मुख्य अनियमितताएँ इस प्रकार से हैं जैसे कि निविदाओं को बिना GST नंबर के स्वीकार करना, निविदाओं पर कोई भी पत्र संख्या / reference number व दिनांक का अंकित न होना, निविदा भेजने वाले का पूरा नाम व पत्ता नहीं होना, निविदाओं को प्राप्त करने उपरान्त comparative statement न तैयार करना, फ़र्म के बिना लेटर हैड / अधूरी सूचना / गलत GST नंबर का लिखा जाना इत्यादि पाया जाना। इस प्रकार नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की सम्भावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 197/2025 दिनांक 14.08.2025 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPB-63/2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में भी नियमों की पूर्णतया पालना की जाएगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर व निर्माण कार्य हेतु सामग्री इत्यादि की खरीद हेतु अपनाई जा रही निविदा प्रणाली में गम्भीर अनियमितताएं पाया जाना एक चिंतनीय विषय है। अतः उक्त विषय पर सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में निविदाएँ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में वर्णित शर्तों व नियमों का पालन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सामान की खरीद में अधिक पारदर्शिता के साथ बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ भी उठाया जा सके।

9. निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 18 के अनुसार ग्राम पंचायत में केवल ₹2500 तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है | ग्राम पंचायत की स्वयं स्त्रोत एवं अनुदान की स्वयं स्त्रोत रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्धारित सीमा ₹2500 से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जिससे ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अवहेलना किया जाना दर्शाता है और इससे यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही का रख रखाव भी नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 198/2025 दिनांक 14.08.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ने अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GPB-64/2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि द्वारा स्वयं स्तोत्रों से प्राप्त राशि (हस्तगत राशि) को शीघ्र

ही बैंक में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में उक्त नियमों की पालना भी की जाएगी और इसके साथ प्रतिदिन प्राप्त नकदी को रोकड़ हस्तगत राशि में इंद्राज करते हुए रोकड़ बही का संधारण किया जाएगा। अतः इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अम्ल में लाई जाए और आगामी अंकेक्षण को की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	मास	हस्तगत राशि (₹)
1	01-04-2024 से 20-05-2024	14069
2	31-05-2024 से 07-06-2024	16069
3	10-06-2024 से 25-06-2024	26869
4	03-07-2024 से 11-07-2024	15187
5	13-07-2024 से 06-08-2024	14257
6	31-08-2024 से 30-09-2024	14477
7	10-09-2024 से 01-10-2024	16077
8	03-10-2024 से 28-10-2024	16477
9	30-10-2024 से 18-11-2024	16677
10	18-11-2024 से 28-11-2024	18277
11	29-11-2024 से 11-12-2024	18477

10. विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 192/2025 दिनांक 12/08/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GPB-71 /2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
12	बिल रजिस्टर	13	48

11. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 191/2025 दिनांक 12.08.2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GPB-60 /2024-25 दिनांक 19.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13. **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

कृष्ण लाल नेगी 14.X.25

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/प्रति

14 OCT 2025

6534-6538

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)129/2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भैरा, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

14 OCT 2025

कृष्ण लाल नेगी 14.X.25

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

परिशिष्ट "क

ग्राम पंचायत भैरा , विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2518167.3	4445730.2	6963897.5	4820932.2	2142965.3

Checked

पंचायत
ग्राम पंचायत भै
विकास खण्ड अम्
जिला ऊना (हि० प्र०

ग्राम पंचायत भैरा, विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2518167.3	2344998	4863165.3	2720200	2142965.3

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	596266	1136883	1733149	1326554	406595

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1921901.3	1208115	3130016.3	1393646	1736370.3

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	1788637.2	1788637.2	1788637.2	0

2A) SBM (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	312095	312095	312095	0

Checked

18

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

ग्राम पंचायत भैरा, विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1921901.3	1208115	3130016.3	1393646	1736370.3

Checked

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

परिशिष्ट "क-1"

Gram Panchayat Bhaira , Block Amb

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCC BANK BHAIRA (OWN SOURCE)	50077834560	20124
	KCC BANK BHAIRA (OWN IAY SOURCE)	20087006263	916
	KCC BANK BHAIRA (OWN SOURCE)	20087006172	389940
	HDFC BANK AMB (15TH)	50100356972941	1761397.3
		योग	2172377.3
2		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	200
		योग (1+2)	2172577.30

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

परिशिष्ट “ख” पैरा संख्या “ 7.1 ” में संदर्भित

ग्राम पंचायत भैरा , विकास खण्ड अम्ब , जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹) @50	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	26450	45360	71810	0	71810

नोट :-- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक गृहकर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिससे प्रारम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण दौरान सम्भव नहीं हो पाई है |

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

परिशिष्ट " ग "पैरा संख्या 12 में संदर्भित

ग्राम पंचायत भैरा, विकास खण्ड अम्ब , जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

क्रम सं.	नाम	विवाह की तारीख	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु वकाया राशि
1	PARDEEP	16-08-2019	3/4/2024	149781	400	400	NIL
2	ROHIT KUMAR	11/7/2024	23-09-2024	149803	400	400	NIL
3	VIJAY	6/10/2024	28-10-2024	149805	200	200	NIL
4	SALIL BHARWAL	9/11/2024	29-11-2024	149811	200	200	NIL
5	HARO OM	15-11-2024	11/12/2024	149813	200	200	NIL
6	AMIT KUMAR	6/12/2024	30-12-2024	149814	200	200	NIL
7	HARDEEP SINGH	14-11-2024	1/1/2025	149816	400	400	NIL
8	AMIT CHAUDHARY	21-01-2025	1/2/2025	149820	200	200	NIL
				कुल योंग	2200	2200	NIL

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

22

परिशिष्ट "ध", पैरा संख्या "4.1" के संदर्भ में

विवरण-ट्रांजिट पास(फार्म -एक्स) ग्राम पंचायत भैरा, विकास खंड अम्ब वित्तीय वर्ष 2024-25

Sr.no	Financial 1year	Scheme	Name of work/Head	Bill No./Dt.	Supplier	Description	Qty(Kgs/C. mtr/No.)	Rate(₹)	Amt Paid including GST (₹)
1	2024-25	MGNREGA	C/O MAHILA MANDAL LOWER BHAIRA	146\13-03-2024	M\S PANKAJ KUMAR, GOVT. CONTRACTOR	W SAND	500ft	23	12075
						40 mm	150ft	18	2825
2	2024-25	MGNREGA	C/O NIRMAN RASTA SHAMSHAN GHAT BHAIRA	1247\19-09-2023	M\S MAHAVIR STONE CRUSHER	10 mm	500ft	18	9450
						W SAND	700ft	23	16905
						40 mm	900ft	18	17010
						20 mm	400ft	18	7560
3	2024-25	MGNREGA	C/O RASTA PULLI TO JAGAN NATH HOUSE BHAIRA	139\15-02-2023	M\S PANKAJ KUMAR, GOVT. CONTRACTOR				
						W SAND	800ft	23	19320
						40 mm	1100ft	18	20790
4	2024-25	MGNREGA	C/O PLAY GROUND NEAR RAVIDAS MANDIR	2724\17-11-2023	M\S MAHAVIR STONE CRUSHER				
						20mm	1000ft	18	19400
						40mm	1500ft	18	28550
5	2024-25	MGNREGA	C\O PLAY GROUND NEAR RAVIDAS MANDIR	2725\18-11-2023	M\S MAHAVIR STONE CRUSHER	40MM	500ft	18	9850
						W SAND	1500ft	23	35050
					कुल योग				198785

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

93

परिशिष्ट "30" पैरा संख्या "8.2" में संदर्भित

ग्राम पंचायत भैरा, विकास खण्ड अम्ब संबिदाकर / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर 2% GST TDS की कटोती न करने बारे

क्र स.	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म व व्यक्ति का नाम	बिल संख्या / दिनांक	क्रय सामान का विवरण	मूल राशी without GST	GST/TDS की कटोती योग्य राशि
1	SBM	1/12-04-2024	NAMAN ENTERPRISES	1246/14-02-2024	SARIA	36155	723.1
3	SBM	4/26-07-2024	NAMAN ENTERPRISES	1549/11-05-2024	SANITARY ITEM	8789	175.78
4	SBM	5/26-07-2024	NAMAN ENTERPRISES	1551/11-05-2024	SANITARY ITEM	7007	140.14
5	SBM	6/26-07-2024	SHREE RADHE KRISHNA	145/28/05/2024	FRIGHT	11480	229.6
6	SBM	7/27-07-2024	SHREE RADHE KRISHNA	146/28/05/2024	SHATTERING /FRIGHT	8964	179.28
7	SBM	10/27-07-2024	NAMAN ENTERPRISES	1639/12-12-2024	PVC PIPE	33000	660
8	SBM	11/28-01-2025	NAMAN ENTERPRISES	1644/16-12-2024	PVC PIPE	8581	171.62
9	SBM	12/20-01-2025	SHREE RADHE KRISHNA	158/31/12/2024	FRIGHT	11373	227.46
10	SBM	13/21-01-2025	PANKAJ KUMAR CONT.	002/28-12-2024	40 MM / SAND	14000	280
11	SBM	14/13-03-2025	NAMAN ENTERPRISES	1146/04-02-2025	PVC PIPE	41800	836
12	Planing	2024-25/P/1	PANKAJ KUMAR CONT.	112/04-01-2024	20 MM / SAND	28700	574
13	Planing	2024-25/P/2	SHREE RADHE KRISHNA	136/31-01-2024	FRIGHT	26910	538.2
14	Planing	2024-25/P/3	SHREE RADHE KRISHNA	141/25-02-2024	FRIGHT	19579	391.58
15	Planing	2024-25/P/6	PANKAJ KUMAR CONT.	140/16-02-2024	20 MM / SAND	11200	224
16	Planing	2024-25/P/7	SHREE RADHE KRISHNA	139/28-03-2024	FRIGHT	21610	432.2
17	Planing	2024-25/P/8	SHREE RADHE KRISHNA	140/28-03-2024	SHATTERING M.MACH.	20250	405
18	Planing	2024-25/P/3	NAMAN ENTERPRISES	1273/06-12-2024	FLOOR TILES	17328	346.56
20	Planing	2024-25/P/3	SHREE RADHE KRISHNA	157/31-12-2024	FRIGHT	19900	398
21	Planing	2024-25/P/5	PANKAJ KUMAR CONT.	001/14-12-2024	40 MM / SAND	44600	892
22	15FC	2024-25/P/1	PANKAJ KUMAR CONT.	136/14-02-2024	20 MM / SAND	27900	558
23	15FC	2024-25/P/2	PANKAJ KUMAR CONT.	137/15-02-2024	40 MM	25200	504
24	15FC	2024-25/P/5	NAMAN ENTERPRISES	1249/07-01-2024	saria	36439	728.78
25	15FC	2024-25/P/6	NAMAN ENTERPRISES	1248/06-01-2024	saria	14742	294.84
27	15FC	2024-25/P/10	PANKAJ KUMAR CONT.	146/13-03-2024	20 MM / SAND	23200	464
28	15FC	2024-25/P/12	SHREE RADHE KRISHNA	144/03-05-2024	fright	26000	520
29	15FC	2024-25/P/11	SHREE RADHE KRISHNA	143/03-05-2024	fright	13740	274.8
30	15FC	2024-25/P/31	PANKAJ KUMAR CONT.	152/15-06-2024	20 MM / 40 mm	30600	612
31	15FC	2024-25/P/32	PANKAJ KUMAR CONT.	151/10-06-2024	40 MM / SAND	45300	906
32	15FC	2024-25/P/34	NAMAN ENTERPRISES	1286/14-06--2024	PVC PIPE	2966	59.32
33	15FC	2024-25/P/33	SHREE RADHE KRISHNA	147/10-07-2024	FRIGHT	28750	575
34	15FC	2024-25/P/35	SHREE RADHE KRISHNA	148/10-07-2024	FRIGHT/m.machine	17040	340.8
35	15FC	2024-25/P/36	PANKAJ KUMAR CONT.	150/14-05-2024	40 MM / SAND	18200	364
36	15FC	2024-25/P/37	NAMAN ENTERPRISES	1550/11-05--2024	sanitary item	1883	37.66
37	15FC	2024-25/P/42	SHREE RADHE KRISHNA	74/18-06-2024	FRIGHT	360	7.2
38	15FC	2024-25/P/44	NAMAN ENTERPRISES	1610/21-09--2024	Paints item	10811	216.22
39	15FC	2024-25/P/45	NAMAN ENTERPRISES	1611/21-09--2024	PVC PIPE	1200	24
40	15FC	2024-25/P/49	PANKAJ KUMAR CONT.	155/09-09-2024	20 MM / SAND	5900	118
41	15FC	2024-25/P/50	SHREE RADHE KRISHNA	151/29-09-2024	FRIGHT	2660	53.2
42	15FC	2024-25/P/51	PANKAJ KUMAR CONT.	171/29-10-2024	20 MM / 40mm/ SAND	30600	612
43	15FC	2024-25/P/52	SHREE RADHE KRISHNA	154/11-11-2024	Fright/m.machin shatt	15770	315.4

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब

44	15FC	2024-25/P/54	Sharma TILES satother	1496/01-12-2024	Interlock Tiles	26400	528
44	15FC	2024-25/P/55	PANKAJ KUMAR CONT.	173/03-12-2024	20 MM / 40mm/ SAND	9500	190
45	15FC	2024-25/P/56	SHREE RADHE KRISHNA	156/08-12-2024	Fright/m.machin	6420	128.4
46	15FC	2024-25/P/58	NAMAN ENTERPRISES	1643/15-11-2024	saria,winding wire	3301	66.02
47	15FC	2024-25/P/59	NAMAN ENTERPRISES	1642/14-11-2024	saria,	26275	525.5
48	15FC	2024-25/P/60	NAMAN ENTERPRISES	1641/15-11-2024	saria	20910	418.2
50	15FC	2024-25/P/64	PANKAJ KUMAR CONT.	003/15-11-2024	20 MM , 40mm	23600	472
51	MGNREGA		SHREE RADHE KRISHNA	161/13-01-2025	Fright/m.machin shatt	11960	239.2
52	MGNREGA		SHREE RADHE KRISHNA	160/13-01-2025	Fright	12800	256
55	MGNREGA		SHARMA TILES	1467/17-09-2023	PAVER	36000	720
56	MGNREGA		SHARMA TILES	1464/14-09-2023	PAVER	40800	816
57	MGNREGA		SHARMA TILES	417/19-02-2024	PAVER	42000	840
58	MGNREGA		SHARMA TILES	418/24-02-2024	PAVER	37200	744
60	MGNREGA		M/S PANKAJ KUMAR	139/15-02-2024	W/SAND 40 MM	38200	764
61	MGNREGA		SHARMA TILES	1460/25-07-2023	PAVER	42000	840
62	MGNREGA		SHARMA TILES	1461/28-07-2023	PAVER	42000	840
63	MGNREGA		SHARMA TILES	1462/29-07-2023	PAVER	40800	816
					Total	**1230653**	**24613.06**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

25

परिशिष्ट "च ", पैरा संख्या "४३ " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भैरा, विकास खण्ड अम्ब , जिला ऊना हि.प्र.

₹1.0 के निर्माण कार्यों के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न बारे

क्रम सं.	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि	टिप्पणी
1	MGNREGA	May-24	C/o of Playground near Ravidas Mandir	2721/17-11-2023	Aggregate	48250	मापन पुस्तिका, प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना |
2	MGNREGA	May-24	C/o of Playground near Ravidas Mandir	2725/18-11-2023	Aggregate & sand	44900	मापन पुस्तिका, प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना |
3	MGNREGA	May-24	C/o of Playground near Ravidas Mandir	1267/18-11-2023	Pavers	8024	मापन पुस्तिका, प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना |
					कुल योग	101174	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

26

परिशिष्ट " द ", पैरा संख्या " 4.5 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भैरा द्वारा सीमेंट क्रय हेतु भुगतान की गई अग्रिम ₹ 1.34 लाख से संबंधित प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एवं अग्रिम

वित्त वर्ष - 2024-25

अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	UTR No.	मद का नाम	दर (₹)	मात्रा		भुगतान की गई राशि (₹)
1.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Amb	822608\30-12-2023	-	सीमेंट	368.04	365.00	Bags	134334.60
						कुल योग		134334.60

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

27

परिशिष्ट " ज " पैरा संख्या 8.6 में संदर्भित

ग्राम पंचायत भैरा, विकास खण्ड अम्ब खरीदे हुए सामान से सम्बंधित E-Way Bill प्रस्तुत न करने वारे

क्र स.	माह	फर्म व् व्यक्ति का नाम	बिल संख्या / दिनांक	क्रय सामान का विवरण	मूल राशी with GST
1	May-24	HP STATE CIVIL SUPPLY AMB	822608\30-12-2023	CEMENTS (BAG)	134335
				कुल योग	**134335**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब
जिला-ऊना (हि० प्र०

98

परिशिष्ट "ङ", पैरा संख्या "8.7" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भैरा द्वारा बजरी एवं पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि 0.10 लाख का आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त/अनियमित

वित्त वर्ष - 2024-2025

अनुदान शीर्ष : Planning

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा (CFT)	राशी GST सहित	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
1.	M\S MAHAVIR STONE CRUSHER	1247\19-09-2023	40MM	18	900	17010	10.00%	1701
2.	M\S MAHAVIR STONE CRUSHER	1247\19-09-2023	20MM	18	400	7560	5.00%	378
3.	M\S MAHAVIR STONE CRUSHER	2724\17-11-2023	20MM	18	1000	19400	5.00%	970
4	M\S MAHAVIR STONE CRUSHER	2724\17-11-2023	40mm	18	1500	28550	10.00%	2855
5	M\S MAHAVIR STONE CRUSHER	2725\18-11-2023	40mm	18	500	9850	10.00%	985
6	M\S PANKAJ KUMAR GOVT, CONT.	139\15-02-2023	40mm	18	1100	20790	10.00%	2079
7	M\S PANKAJ KUMAR GOVT, CONT.	146/13-03-2024	40mm	18	150	2835	10.00%	283
				कुल जोड़		43970		9251

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भैरा
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)